राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग

कमांक : प.18(12)एमई / ग्रुप–1 / 2018 जयपुर, दिनांक : 10.08.2018

परिपत्र

राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों (सोसायटी के माध्यम से संचालित चिकित्सा महाविद्यालयों सहित) से सम्बद्ध चिकित्सालयों में सीनीयर रेजिडेन्ट्स की नियुक्ति हेतु निम्न दिशा–निर्देश जारी किये जाते हैं।

1. स्नातकोत्तर सीटों में वृद्धि एवं सहायक आचार्य हेतु अधिकाधिक योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सीनीयर रेजिडेंसी की अवधि एक वर्ष की जाती है।
2. जिन सीनीयर रेजिडेन्ट्स द्वारा एक वर्ष की सीनीयर रेजिडेन्ट्सी पूर्ण कर ली गई है उन्हें चयन प्रक्रिया में नये सिरे से सम्मिलित होने पर अधिकतम तीन वर्ष की अवधि हेतु पुर्ननियुक्त किया जा सकेगा।
3. परिपत्र जारी होने की दिनांक से पूर्व से कार्यरत सीनीयर रेजिडेन्ट्स की आगे समयावधि में वृद्धि नहीं की जायेगी।
4. सीनियर रेजिडेन्ट्स के समस्त पदों पर चयन हेतु मेडिकल कॉलेज स्तर पर विधिवत विज्ञप्ति जारी कर चयन प्रक्रिया सुनिश्चित करेंगे।

भवदीय
10/8/18
(भगवत सिंह)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग, जयपुर
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, जयपुर
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, जयपुर
4. कुल सचिव, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर
5. शासन उप सचिव, चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग, जयपुर
6. अति. निदेशक (प्रशासन), निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा, जयपुर
7. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, समस्त मेडिकल कॉलेज ....
8. रक्षित पत्रावली

10/8/18
शासन उप सचिव

Scanned with CamScanner